न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 748 / 2014</u> संस्थित दि: 21 / 08 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाडा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— अभियोगी

विरुद

जहांगीर पिता मोहम्मद कलाम, उम्र 24 साल, जाति मुसलमान निवासी सिगोंडी थाना व तहसील केवलारी, जिला सिवनी (म.प्र.)

– – – – – – – आरोपी

—<u>ः: उर्पापण – आदेश ः-</u>—

आज दिनांक 04/09/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) 💉 इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हरिनारायण ने आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि उसकी लड़की कुमारी रिवना हिर्बानी उम्र 17 वर्ष का जहांगीर स्कूल आते—जाते समय पीछा करता है और मोबाईल नं. 7771858024, 8349694786, 9826542606, 8965949142, 9424736141 से उसकी लड़की से प्यार का इजहार करता रहता है। मना करने पर धमकी देता है कि पढ़ाई रूकवा दूंगा, बदनाम कर दूंगा और गेट के उपर फूल और गन्दे शब्द लिख फोटो फेकता है। फरियादी की लिखित रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 38/14 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354(घ)(1)(2) एवं 11, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354(घ)(1)(2), 506 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 एवं 11, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड सहिता की धारा 354(घ)(1)(2), 506 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 एवं 11, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों

आपराधिक प्र.क.: 748/2014

का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- (06) आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।,
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.09.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) ाम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ाट बैहर, जिला बालाघाट